भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 592

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्याय प्रदायी और विधिक सुधार मिशन

592 डा. फौजिया खान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "राष्ट्रीय न्याय प्रदायी और विधिक सुधार मिशन" के अधीन किए गए कार्यों और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त मिशन के लिए आवंटित, जारी और खर्च की गई राशि का राज्य बार का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आबंटित निधि जारी करने में कोई विलम्ब हुआ है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) महाराष्ट्र राज्य में मिशन के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का मिशन के लिए निधि आवंटन बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की

पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 913.21 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.06.2022 तक बढ़कर 20,993 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 18,502 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,777 न्यायालय हाल और 1,659 आवासी इकाईयां(एम आई एस डाटा के अधीन) निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u> :- सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.3% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 04.07.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 20.86 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 18.02 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल ,न्यायिक सेवा

केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है ।कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने ,जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 500 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए बीस वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.04.2022 तक 63,76,561 मामलों (कुल 1.92 करोड़) की सुनवाई की। 13.06.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 2,61,338 सुनवाई हुई।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 15.07.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 769 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 619 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
15.07.2022	24,631	19,289

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(vi) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबन्ध करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.05.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और

बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 892 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । आज की तारीख तक 28 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 363'मात्र पाक्सो न्यायालय' सहित 842 एफटीएससी की स्थापना के लिए जुड़ गए है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 726 एफटीएससी वर्तमान में 408 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 31.05.2022 तक 96,736 मामलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए सहित 1,572.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर एफटीएससी की स्कीम को अगले दो वर्षों (2021-23) के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ।

(vii) इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

(ख) से (ङ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्यों सरकारों के स्रोंतो को बढाने के अनुक्रम में, संघ सरकार राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों को विहित निधि साझा पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है। स्कीम वर्ष 1993-1994 से क्रियान्वित है । इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हाल और न्यायालय परिसर तथा आवासी प्रसुविधा का संनिर्माण होता है। स्कीम को 9,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय जिसमें 5307 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित है, 2021-22 से 2025-26 बढ़ा दिया गया है । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, स्कीम को अब

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों के हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और शौचालय परिसरों के निर्माण को भी कवर करना है। राज्य सरकार द्वारा स्कीम के विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शर्तों को पूरा करने के पश्चात स्कीम के अधीन धनराशि जारी की जाती है। राज्य के संबंध में जारी स्कीम के अधीन किए गए बजटीय आवंटन के अधीन है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान आरई चरण में 982.00 करोड़ रु., 593.00 रुपए और 770.44 करोड़ रु.की राशि की धनराशि आवंटित की गई थी। इस स्कीम के अधीन राज्यवार जारी की गई राशि और राज्य सरकारों द्वारा पिछले 3 वर्षों के लिए रिपोर्ट किए गए व्यय का विवरण उपाबद्ध किया गया है।

स्कीम के अधीन महाराष्ट्र सरकार को 761.94 करोड़ रु. जारी किए गए हैं क्योंकि 1993-94 से स्कीम आरंभ में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार 30.06.2022 तक 2350 न्यायालय हॉल और 2055 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं। न्याय विकास ॥ पोर्टल के अनुसार राज्य सरकार 30.06.2022 तक क्रमशः 498 और 73 न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों का निर्माण कर रही है।

****

उपाबंध

<u>राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन संबंधी राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.592 जिसका उत्तर 21.07.2022 को दिया जाना है,के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य-वार जारी की गई राशि और राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यय का विवरण।

क्र.सं.	राज्य	2019-20 में जारी	2019-20 के दौरान जारी की गई निधियों के लिए उपयोग की गई निधियां	2020-21 में जारी	2020-21 के दौरान जारी की गई निधियों के लिए उपयोग की गई निधियां	2021-22 में जारी	2021-22 के दौरान जारी की गई निधियों के लिए उपयोग की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	20.00	20.00	10.28	7.46	0.00	0.00
2	बिहार	87.62	87.62	65.72	3.32	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	19.83	19.83	7.84	7.84	0.00	0.00
4	गोवा	4.06	4.06	3.80	3.80	3.20	3.20
5	गुजरात	16.49	16.49	13.50	7.25	0.00	0.00
6	हरियाणा	14.06	14.06	22.00	0.00	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	5.72	1.45	5.50	0.00	0.00	0.00
8	जम्मू कश्मीर	10.00	10.00				
9	झारखण्ड	13.74	13.74	9.05	9.05	6.00	6.00
10	कर्नाटक	44.04	44.04	29.72	0.00	27.00	0.00
11	केरल	15.82	15.82	13.00	13.00	50.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	66.90	66.90	45.60	45.60	55.00	55.00
13	महाराष्ट्र	61.09	61.09	23.11	23.11	18.00	17.90
14	उड़ीसा	35.69	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15	पंजाब	39.78	39.78	16.48	16.48	16.50	16.50
16	राजस्थान	64.21	64.21	29.90	29.90	41.50	41.50
17	तमिलनाडु	38.71	38.71	18.17	18.17	35.66	0.00
18	तेलंगाना	5.65	5.65	16.00	14.00	0.00	0.00
19	उत्तराखंड	28.50	28.50	5.86	0.00	80.00	0.00
20	उत्तर प्रदेश	169.66	169.66	111.00	111.00	219.00	118.50
21	पश्चिमी बंगाल	61.43	54.77	31.07	0.00	0.00	0.00
	योग (क)	**823.00**	**794.78**	**477.60**	**309.97**	**551.86**	**258.60**
	पूर्वोत्तर राज्य						
1.	अरुणाचल प्रदेश	2.69	2.69	5.00	5.00	4.09	0.93
2.	असम	36.54	36.54	25.00	25.00	27.40	0.00
3.	मणिपुर	9.66	4.00	5.00	2.68	0.00	0.00
4.	मेघालय	22.85	22.85	7.71	7.71	28.02	28.02
5.	मिजोरम	5.24	5.24	5.00	5.00	9.50	4.50
6.	नागालैंड	3.42	3.42	5.00	5.00	13.27	0.00
7.	सिक्किम	2.78	2.78	2.95	0.68	0.00	0.00
8.	त्रिपुरा	18.82	8.97	7.74	0.00	0.00	0.00
	योग (ख)	**102.00**	**86.49**	**63.40**	**51.07**	**82.28**	**33.45**
	संघ राज्यक्षेत्र						

1	अंदमान और	0.17	0.17	0.35	0.35	0.00	0.00
2	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	दादरा और	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली	48.52	48.52	45.00	45.00	30.00	19.43
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	पुडुचेरी	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8	जम्मू - कश्मीर	5.00	5.00	6.65	6.65	20.00	11.19
9	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग)	**57.00**	**57.00**	**52.00**	**52.00**	**50.00**	**30.62**
सकल योग (क+ख+ग)		**982.00**	**938.27**	**593.00**	**413.04**	**684.14**	**322.68**

****